

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
एस. सा. ओ. 16-17, सैक्टर-20 डी,
चण्डीगढ़

अधिसूचना

न नं० 1973 एस०ई०सी०/-ई111/95

दिनांक 13-1-95

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो सदस्य जिला परिषद भिवानी जिला भिवानी के सदस्य चुने गये हैं, अधिसूचित किये जाते हैं:-

क्रमांक	वार्ड	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	वर्ग/सा०/आरक्षित
1.	2.	3.	4.
1	1	जीत राम उर्फ अजीत	अ०ज०
2	2	आनन्द प्रकाश पुत्र मनवीर	सा०
3	3	अजीत सिंह पुत्र बलदेवा	अ०ज०
4	4	अमर सिंह पुत्र श्री चितरू	सा०
5	5	सुनील लाम्बा पुत्र श्री नरेन्द्र	सा०
6	6	देव राज पुत्र दिवान चन्द	अ०ज०
7	7	श्रीमति विराज देवी पत्नी स्वर्गी जयवीर	सा०
8	8	श्री मति बिमला पत्नी धर्मवीर	अ०ज०
9	9	श्री जगदीश पुत्र राजभान	सा०
10	10	श्री अमर सिंह पुत्र जुगलाल	पि०ज०
11	11	श्री जोगिन्द्र पुत्र श्री दयानन्द	सा०
12	12	श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री खमान सिंह	सा०
13	13	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री छाजू	सा०
14	14	प्रवीण कुमार पुत्र प्रहलाद	सा०
15	15	श्रीमति शकुन्तला पत्नी होशियार सिंह	सा०
16	16	श्री रविन्द्र पुत्र अमीर सिंह	सा०
17	17	इन्दिरा उर्फ इन्द्र यादव पत्नी बलवंत सिंह	सा०
18	18	सिरया पुत्र श्री शुभा चन्द	सा०
19	19	श्री जगत सिंह पुत्र श्री मुलतान सिंह	सा०
20	20	श्री मति सावित्री पत्नी होशियार सिंह	सा०
21	21	श्री राज सिंह पुत्र श्री शुभराम	सा०
22	22	श्रीमति मोहिनी देवी पत्नी रामचन्द्र	सा०
23	23	श्रीमति मिलोचना पत्नी ईश्वर सिंह	सा०

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 1740 आफ 1994 में दिनांक 21.12.94 को पारित आदेशों के अनुसार उपरोक्त परिणाम इस याचिका के परिणाम पर आधारित होंगे।

जे. के. दुग्गल
राज्य निर्वाचन आयुक्त
हरियाणा, चण्डीगढ़